

09
2:20 PM
10-11-2020

प्ररूप 23
(नियम 4 वेरि
नाम निर्देशन

इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स
परिषद निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश (राज्य) की



र्वाच-



भाग-1

हम उत्तर प्रदेश (राज्य) की विधान परिषद के निर्वाचन के लिये
इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्देशित करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम
श्रीव्यनम

(पिता/मृता/पति का नाम)
निजाभुददीन

उसका ठाक पता
अल्तान से राय दरनराजपे आलापी (पिता जालौन)

उसका नाम 220 आलापी विधान सभा/निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या 276
में क्रम संख्या 118 पर प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदाता हैं और हमारे नाम इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन
क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट है और इस नामनिर्देशन के प्रतीक
स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं.	प्रस्थापक की निर्वाचक नामावली संख्या		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	उस भाग में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6
1	149	743	रतेन्द्र सिंह		10/11/2020
2	149	757	श्रीलाला सिंह		10/11/2020
3	149	745	बोरु सिंह		10/11/2020
4	149	618	नीलू चौहान		10/11/2020
5	149	549	आरती शर्मा		10/11/2020
6	149	510	अंजलि पेशरिया		10/11/2020
7	149	684	रचना मिश्रा		10/11/2020
8	149	627	मल्लवी अंतरथा		10/11/2020
9	149	751	सुरभि तलेले		10/11/2020
10	149	729	स्वाति शर्मा		10/11/2020

* प्रस्थापक निर्वाचन क्षेत्र के दस प्रतिशत मतदाता या दस ऐसे मतदाता, जो भी कम हों, होने चाहिये।

मैं, उपरिवर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिये अपनी अनुमति देता/देती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि :-

- (क) मैं भारत का नागरिक हूँ और मैंने किसी अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित नहीं की है,
- (ख) मैंने43..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है,
- (ग) मैं इस निर्वाचन मेंकु-देलखण्ड ज्योति (पंजीकृत)..... दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ/खड़ी की गई हूँ
- (घ) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपरहिन्दी..... (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है, और
- (ङ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं, इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश (राज्य) की विधान परिषद के रिक्त स्थान को भरने के लिये चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले विधान परिषद के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिये किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और न ही किया जाऊंगा।

तारीख10.11.2020.....

Shabnam
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग-2

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

(1) क्या अभ्यर्थी को -

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की - | नहीं
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए, या |
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए, |
- सिद्धदोष ठहराया गया है, या | हां/नहीं
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, | नहीं
जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित |
किया गया है। |

यदि उत्तर "हां" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) गामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक लागू नहीं होता है
- (ii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं होता है जिला (जिले) लागू नहीं होता है राज्य लागू नहीं होता है
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था लागू नहीं होता है
- (iv) दोषसिद्ध (दोषसिद्धियों) की तारीख/(तारीखें) लागू नहीं होता है
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था लागू नहीं होता है
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपदर्शित करें लागू नहीं होता है
- (vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें) लागू नहीं होता है
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गये थे : हाँ/नहीं लागू नहीं होता है
- (ix) फाइल की गयी अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां एवं तारीख लागू नहीं होता है
- (x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गये थे लागू नहीं होता है
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं लागू नहीं होता है
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-
(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) लागू नहीं होता है
(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) लागू नहीं होता है

- (2) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण कर रहा है? नहीं (हां/नहीं)
-यदि हां, धारित पद के ब्यौरे नहीं
- (3) क्या अभ्यर्थी किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया है? नहीं (हां/नहीं)
-यदि हां, क्या उसे दिवालियापन से उन्मोचित कर दिया गया है नहीं
- (4) क्या अभ्यर्थी किसी विदेशी देश के साथ राजनिष्ठा या अनुषति के अधीन है? नहीं (हां/नहीं)
-यदि हां, ब्यौरे दीजिए नहीं लेता
- (5) क्या अभ्यर्थी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अधीन निरहित किया गया है? नहीं (हां/नहीं)
-यदि हां, निरहित किए जाने की अवधि नहीं लेता
- (6) क्या अभ्यर्थी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा पद धारण के दौरान भ्रष्टाचार या अभक्ति के लिए पदच्युत किया गया है? नहीं (हां/नहीं)
-यदि हां, ऐसी पदच्युति की तारीख नहीं लेता
- (7) क्या अभ्यर्थी या तो व्यक्ति हैसियत में या न्यास द्वारा या भागीदारी द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसी अस्तित्ववान संविदा(संविदाएं) रखता है जिसमें(जिनमें) अभ्यर्थी का उस सरकार को किसी माल के प्रदाय के लिए या उस सरकार द्वारा किए संकर्म के निष्पादन के लिए शेर रखता है? नहीं (हां/नहीं)
-यदि हां, तो कौन सी सरकार के साथ है और अस्तित्ववान संविदा(ओं) के ब्यौरे नहीं
- (8) क्या अभ्यर्थी ऐसी किसी कंपनी या निगम(सहकारी सोसाइटी से भिन्न) का प्रबंधकीय अभिकर्ता या प्रबंधक या सचिव है जिसकी पूंजी में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार पच्चीस प्रतिशत से कम शेर नहीं रखती है? नहीं (हां/नहीं)
-यदि हां, कौन-सी सरकार के साथ और उसके ब्यौरे नहीं लेता
- (9) क्या अभ्यर्थी आयोग द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरहित किया गया है? नहीं (हां/नहीं)
-यदि हां, निहरन की तारीख नहीं लेता

स्थान : नामपुरी

तारीख : 10-11-20

Shabnam
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग-3

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की क्रम संख्या 09

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय न्यायालय कक्ष, आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी में 10-11-2020

..... (तारीख) को 2-20 PM (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक शबनम

..... (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख 10-11-2020

रिटर्निंग आफिसर

भाग-4

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ :-

तारीख 10-11-2020

रिटर्निंग आफिसर

भाग-5

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देने के लिए)

नामनिर्देशन पत्र का क्रम संख्यांक 09 का, जो उत्तर प्रदेश

राज्य की विधान परिषद के लिए निर्वाचन हेतु इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातकों/अध्ययकों/स्थानीय प्राधिकरणों

के निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी हैं, नामनिर्देशन-पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में 10-11-2020 (तारीख) को

2-20 PM (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक शबनम (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया है। सभी

नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 13-11-2020 (तारीख) को 11-00 AM (बजे) न्यायालय कक्ष,

(स्थान) में की जाएगी। इलाहाबाद-झाँसी खण्ड, झाँसी

तारीख 10-11-2020

रिटर्निंग आफिसर

रिटर्निंग आफिसर

इलाहाबाद-झाँसी खण्ड स्नातक

परिषद निर्वाचन-क्षेत्र (झाँसी)

टिप्पण :- जहां अनुकल्प दिया गया है, वहां लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए।

प्ररूप 26

(नियम 4क देखिए)



निर्वाचन-क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

.....(सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं, शबानम पुत्र/पुत्री/पत्नी निजामुद्दीन आयु 43 वर्ष, जो 29 टरनगंज बालजी (फिनापारो 1) 3095
का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ,
शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

- (1) मैं उन्नेल 2003 आनित दल (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक
स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
(*जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम 225 विधान सभा बालजी 3095 (निर्वाचन-क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 276 के
क्रम सं. 178 पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा/मेरे 9532592209 संपर्क दूरभाष संख्या/संख्याएं है/हैं और गिरेल रही हूँ मेरा ईमेल पता
(यदि कोई हो) है तथा मेरा/मेरे सोशल मीडिया खाता/खाते (यदि कोई हो) निम्नलिखित है/हैं।
(i) मायू रही होता है
(ii) मायू रही होता है
(iii) मायू रही होता है
- (4) स्थाई खाता संख्या (पैन) और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्राप्ति:

क्रम सं.	नाम	पीएएन (स्थाई खाता संख्या)	वह वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	पिछले पांच वित्तीय वर्षों (31 मार्च को) के लिए आयकर - विवरणी में दर्शित कुल आय (रूप में)
1.	स्वयं	FHNPS 34	90 D मायू रही होता है	मायू रही होता है
			मायू रही होता है	मायू रही होता है
			मायू रही होता है	मायू रही होता है

			मांगू रही होती है	मांगू रही (iv)
			मांगू रही होती है	मांगू रही (v)
2.	पति या पुत्री	AUXPN	मांगू रही होती है	मांगू रही (i)
		S+27E	मांगू रही होती है	मांगू रही (ii)
			मांगू रही होती है	मांगू रही (iii)
			मांगू रही होती है	मांगू रही (iv)
			मांगू रही होती है	मांगू रही (v)
3.	हिंदू अविभक्त कुटुंब (यदि अभ्यर्था कर्ता या सहदायिक है)	मांगू रही होती है	मांगू रही होती है	मांगू रही (i)
		मांगू रही होती है	मांगू रही होती है	मांगू रही (ii)
		मांगू रही होती है	मांगू रही होती है	मांगू रही (iii)
		मांगू रही होती है	मांगू रही होती है	मांगू रही (iv)
		मांगू रही होती है	मांगू रही होती है	मांगू रही (v)
4.	आश्रित - 1	मांगू रही होती है	मांगू रही होती है	मांगू रही (iii)
		मांगू रही होती है	मांगू रही होती है	मांगू रही (iv)
		मांगू रही होती है	मांगू रही होती है	मांगू रही (ii)
		मांगू रही होती है	मांगू रही होती है	मांगू रही (iii)
		मांगू रही होती है	मांगू रही होती है	मांगू रही (iv)
		मांगू रही होती है	मांगू रही होती है	मांगू रही (v)
5.	आश्रित - 2	मांगू रही होती है	मांगू रही होती है	मांगू रही (i)
		मांगू रही होती है	मांगू रही होती है	मांगू रही (ii)
		मांगू रही होती है	मांगू रही होती है	मांगू रही (iii)
		मांगू रही होती है	मांगू रही होती है	मांगू रही (iv)
		मांगू रही होती है	मांगू रही होती है	मांगू रही (v)
6.	आश्रित - 3	मांगू रही होती है	मांगू रही होती है	मांगू रही (i)
		मांगू रही होती है	मांगू रही होती है	मांगू रही (ii)
		मांगू रही होती है	मांगू रही होती है	मांगू रही (iii)
		मांगू रही होती है	मांगू रही होती है	मांगू रही (iv)
		मांगू रही होती है	मांगू रही होती है	मांगू रही (v)

टिप्पण : स्थायी खाता संख्या (पैन) धारक के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख करना आज्ञापक होगा और कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) न होने की दशा में यह स्पष्ट रूप से कथन करना चाहिए कि "कोई स्थायी खाता संख्या (पैन) आबंटित नहीं हुआ है"।



Shabnam

स्थान नं० १०६ वकीमती १०/रु० वदस्त श्रीमती शबनम पली श्री निजामुद्दीन
साकिन मुहल्ला टरननगंज कालपी परगना कालपी जिला जालौन को चिया

मितेन्द्र सिंह

२६-१०-२०२०

जितेन्द्र कुमार
स्थान्य : जालौन
लाईसेन्स संख्या-२
तहसील : जालौन
जिला-जालौन

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2020
33AF 987772



प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



निर्वाचन-क्षेत्र से

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

.....(सदन का नाम) के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा नाम-निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र

भाग-क

मैं, शालनम पुत्र/पुत्री/पत्नी निजामुद्दीन आयु 43 वर्ष, जो 29 टरनगंज जाल्जी (जिला जालौरी) 2056
(डाक का पूरा पता लिखें)
का/की निवासी हूँ, और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ,
शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं बुन्देलखण्ड जनता दल (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक
स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ।
(*जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 228 विधान सभा जाल्जी 2056 (निर्वाचन-क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 276 के
क्रम सं. 178 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा पता 9532592209

(5) लंबित आपराधिक मामले

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है।
(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है तो इस विकल्प को चिह्नंकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)

या

(ii) मेरे विरुद्ध निम्नलिखित आपराधिक मामले लंबित हैं: लागू नहीं होता है
(यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं तो इस विकल्प चिह्नंकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें और नीचे की सारणी में सभी लंबित मामलों का ब्यौरे दें)

सारणी

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इतिहास रिपोर्ट सं.	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला सं.	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दें, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(ङ)	क्या आरोप विरचित किए गए हैं (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(च)	यदि उपरोक्त गद (ङ) के सामने उत्तर हां है, तो वह तारीख दे, जिसको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है
(छ)	क्या कार्यवाहियों के विरुद्ध कोई अपील/पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाईल किया गया है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है	लागू नहीं होता है

(6) दोषसिद्धि के मामले,-

(i) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है।
(यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध नहीं किया गया है तो इस विकल्प को चिह्नंकित करें और नीचे विकल्प (ii) के सामने लागू नहीं होता है लिखें)

या

Shabnam

- (ii) मुझे नीचे वर्णित अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया है: लागू रही होता है
 (यदि अभ्यर्थी दोषसिद्ध किया गया है तो इस विकल्प को चिह्नंकित करें और उपरोक्त विकल्प (i) को काट दें, और नीचे दी गई सारणी में ब्यारे दें)

सारणी

(क)	मामला संख्यांक	लागू रही होता है	लागू रही होता है	लागू रही होता है
(ख)	न्यायालय का नाम	लागू रही होता है	लागू रही होता है	लागू रही होता है
(ग)	अंतर्वलित अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (धारा की सं. दे, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	लागू रही होता है	लागू रही होता है	लागू रही होता है
(घ)	अपराधों का संक्षिप्त विवरण, जिनके लिए दोषसिद्ध किया गया है	लागू रही होता है	लागू रही होता है	लागू रही होता है
(ङ)	दोषसिद्धि के आदेशों की तारीखें	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं
(च)	अधिरोपित दंड	लागू रही होता है		
(छ)	क्या दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई है (हां या नहीं का उल्लेख करें)	लागू रही होती है	लागू रही होती है	लागू रही होती है
(ज)	यदि उपरोक्त मद (छ) का उत्तर हां है, तो अपील के ब्यारे तथा वर्तमान प्रास्थिति दें	लागू रही होती है	लागू रही होती है	लागू रही होती है

- (6क) मैंने, ऊपर पैरा (5) और पैरा (6) में दिए गए अनुसार मेरे विरुद्ध सभी लंबित आपराधिक मामलों की और दोषसिद्धि के सभी मामलों के बारे में अपने राजनीतिक दल को पूरी और अद्यतन सूचना दे दी है।

[ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें यह मद लागू नहीं होती है, उपरोक्त पैरा 5(1) और पैरा 6(1) में की प्रविष्टियों को देखते हुए, स्पष्ट रूप से लागू नहीं होता है, लिखना चाहिए]



Shabnam

टिप्पणः

1. ब्यारि स्पष्ट रूप से और सुपाठ्य रूप से बड़े अक्षरों में प्रविष्ट किये जाने चाहिए।
2. प्रत्येक मद के सामने विभिन्न स्तंभों के अधीन प्रत्येक मामले के लिए ब्यारि पृथक रूप से दिए जाए।
3. ब्यारि विलोम कालानुक्रम में दिए जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामले को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
4. यदि अपेक्षित हो तो पृथक शीट जोड़ी जा सकती हैं।
5. अभ्यर्थी 2011 की रिट याचिका (सिविल) सं. 536 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा।

(7) में मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यारि नीचे देता हूँ:

अ. जंगम आस्तियों के ब्यारि :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यारि दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - "आश्रित" से अभ्यर्थी के माता-पिता, पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी और अभ्यर्थी से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति, चाहे वह रक्त द्वारा हो या विवाह द्वारा, अभिप्रेत है(हैं), जिसके आय के पृथक साधन नहीं हैं और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यारि प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

टिप्पण 6 - ब्यारियों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

स्पष्टीकरण,- इस टिप्पण के प्रयोजन के लिए "अपतट आस्तियों" पद से विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों या विनिधानों के ब्यारि और विदेशों में सभी आस्तियों और दायित्वों के ब्यारि अभिप्रेत हैं;

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभाक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	40358	32380	मायूसीएमां	मायूसी	मायूसी चेलय	मायूसी ए।

(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	5332 10,000	6155 15000	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	95059	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है
(vi)	मोटर यान वाहन/वायुयान/याच/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	10,000 2 लोका	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दारो/हित का मूल्य	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है
(ix)	सकल कुल मूल्य	250749	53535	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है	मांगू रही होता है

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

टिप्पण 3 - ब्यौरों में अपतट आस्तियों का स्वामित्व या उनमें हित सम्मिलित होना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	मायू री है	328 243	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है
	सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	मायू री है	2-28	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	मायू री है		मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है
विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	
अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	
(ii)	<u>गैर कृषि भूमि</u> : अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्या (संख्याएं)	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है
	स्वाजित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है
अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	मायू री है	

Shabnam

(vi)	पूर्वाक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	₹ 1,00,000	₹ 2,00,000	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000
------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

(8) में, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/ को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ:-

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक मद के समस्त रकम के ब्यौरों का अलग-अलग विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण.	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3	
(i)	<u>बैंकवित्तीय संस्था</u> (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	
	पूर्वाक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	
	कोई अन्य दायित्व	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	
	दायित्वों का कुल योग	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	₹ 1,00,000	
(ii)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से संबंधित विभागों को शोध्य	<p>क. क्या अभिसाक्षी वर्तमान निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पूर्व पिछले दस वर्ष के दौरान किसी समय सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आवास के अधिभोग में हैं? नहीं</p> <p>ख. यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है तो निम्नलिखित घोषणा प्रस्तुत करें, अर्थात् :-</p> <p>(i) सरकारी आवास का पता: <u>लागू नहीं होता है</u></p> <p>(ii) उपरोक्त सरकारी आवास के संबंध में, निम्नलिखित के मददे कोई शोध्य संदेय नहीं है- (क) भाटक; लागू नहीं (ख) विद्युत प्रभार; लागू नहीं होता है (ग) जल प्रभार; और लागू नहीं होता है (घ) लागू नहीं (तारीख) को टेलीफोन प्रभार [तारीख उस मास से, जिसमें निर्वाचन अधिसूचित</p>					<p>हां/नहीं ✓ (कृपया उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाएं)</p>	



		किया जाता है, पूर्व तीसरे मास की अंतिम तारीख या उसके पश्चात् की कोई तारीख होनी चाहिए। टिप्पण- उपरोक्त सरकारी आवास के लिए भाटक, विद्युत प्रभार, जल प्रभार और टेलीफोन प्रभार की बाबत संबंधित अभिकरणों का "बेबाकी प्रमाणपत्र" प्रस्तुत किया जाना चाहिए।					
(iii)	सरकारी परिवहन से संबंधित-विभाग को शोध्य (जिसके अंतर्गत वायुयान और हेलीकॉप्टर भी हैं)	नाशु-रही होता है	नाशु-रही होता है	नाशु-रही होता है	नाशु-रही होता है	नाशु-रही होता है	
		स्वयं	पति/पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(iv)	आयकर शोध्य	नाशु-रही	नाशु-रही	नाशु-रही	नाशु-रही	नाशु-रही	नाशु-रही
(v)	जीएसटी शोध्य	नाशु-रही	नाशु-रही	नाशु-रही	नाशु-रही	नाशु-रही	नाशु-रही
(vi)	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	नाशु-रही	नाशु-रही	नाशु-रही	नाशु-रही	नाशु-रही	नाशु-रही
(vii)	कोई अन्य शोध्य	नाशु-रही	नाशु-रही	नाशु-रही	नाशु-रही	नाशु-रही	नाशु-रही
(viii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	नाशु-रही	नाशु-रही	नाशु-रही	नाशु-रही	नाशु-रही	नाशु-रही
(ix)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादग्रस्त हैं, यदि ऐसा है तो उसमें अंतर्बलित रकम का और प्राधिकारी का, जिसके समक्ष यह लंबित है, उल्लेख करें।	नाशु-रही होता है	नाशु-रही होता है	नाशु-रही होता है	नाशु-रही होता है	नाशु-रही होता है	नाशु-रही होता है

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं नाशु-रही होता है

(ख) पति या पत्नी नाशु-रही होता है

(9क) आय के स्रोतों के ब्यौरे-

(क) स्वयं नाशु-रही होता है

(ख) पति या पत्नी नाशु-रही होता है

(ग) आश्रितों के आय के स्रोत, यदि कोई हों नाशु-रही होता है

(9ख) समुचित सरकार और किसी पब्लिक कम्पनी या कम्पनियों के साथ संविदाएं-

(क) अभ्यर्थी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे नाशु-रही होता है

(ख) पति या पत्नी द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे नाशु-रही होता है

(ग) आश्रितों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे नाशु-रही होता है



- (घ) हिंदू अविभक्त कुटुम्ब या न्यास, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित हितबद्ध हैं, द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे... भाग्य नहीं होता है
- (ङ) भागीदारी फर्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं... भाग्य नहीं होता है
- (च) प्राइवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों हिस्सा हैं... भाग्य नहीं होता है

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है:-

पोस्ट ग्रेजुएट सन २००३ सुन्दरगढ़ विश्वविद्यालय शांसी
 (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)

Shabnam



भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यारों का सारांश

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कु. शिवनम					
2.	डाक का पूरा पता	29 CR-1-2014 कानपी दिल्ली 110001					
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	501/एवा4-सूक्ष्म उद्यम सेनादक निर्वाचन क्षेत्र					
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'निर्दलीय' लिखें)	कुन्देल खण्ड आन्ति दल					
5.	लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या	नागू रही है					
6.	ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया है।	नागू रही होता है					
7.		स्थायी ज़ेबा सं. (पैन)	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आय-कर विवरणी फाइल की गई है			कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	FHNPS3490D	नागू रही है			0	
	(ख) पति या पत्नी	AUXPN5727E	नागू रही है			210520	
	(ग) हिंदू अविभक्त कुटुंब	नागू रही होता है	नागू रही होता है			नागू रही होता है	
	(घ) आश्रित	नागू रही होता है	नागू रही होता है			नागू रही होता है	
8.	आस्तियाँ और दायित्वों (अपतट आस्तियाँ सहित) के रूपों में ब्यार-						
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	हिंदू अविभक्त कुटुंब	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क.	जंगम आस्तियाँ (कुल मूल्य)	250749	53535	नागू रही होता है	नागू रही होता है	नागू रही होता है	नागू रही होता है
ख.	स्थावर आस्तियाँ						
	i. स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	नागू रही होता है	नागू रही होता है	नागू रही होता है	नागू रही होता है	नागू रही होता है	नागू रही होता है
	ii. क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	नागू रही होता है	नागू रही होता है	नागू रही होता है	नागू रही होता है	नागू रही होता है	नागू रही होता है



Shabnam

III.	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत-	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं
(क)	स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं
(ख)	विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं
9.	दायित्व						
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं
10.	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं	लागू रही होती हैं
11.	उच्चतम शैक्षणिक अर्हता : पोस्ट ग्रेजुएट सन 2003 यु-केल 2005 विश्वविद्यालय द्वारा (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण रूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।) लागू						

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इस से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

Shabnam

(क) मेरे विरुद्ध ऊपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है:

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 07/11/2020 को सत्यापित किया गया।


अभिसाक्षी

टिप्पण : 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को अपराह्न 3:00 बजे तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।


टिप्पण : 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण : 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्य रूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण : 5. शपथ पत्र का प्रत्येक पृष्ठ अभिसाक्षी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे नोटरी या शपथ आयुक्त या मजिस्ट्रेट जिसके समक्ष शपथ पत्र सत्यापित किया जाता है, की स्टांप होनी चाहिए।


07/11/20

Shabnam

Smt. Shabnam
Case No. 130 of 2020
R.G. & A.T. 19-05-2020

07/11/20